

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-11/2017-18

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच
बनाम्

M/S SHIVANGI PRODUCT & SUPPLIERS

-: आदेश :-

25.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S SHIVANGI PRODUCT & SUPPLIERS प्रो० श्रीमति उमा देवी पति श्री संजीव कुमार सा०-गुजरात कॉलोनी, जैन मंदिर पीछे, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास थाना सं०-30 खाता सं०-198, प्लॉट सं०-6832 रकबा-03) को गिरवी रखते हुए 21,00,000 / (इक्कीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.06.16 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की मांग की गई है।

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसी कारण वह



ऋण की राशि को वापस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अधिवक्ता के द्वारा अनुरोधपूर्वक कहा गया कि विपक्षी नियमित रूप से या जो उनसे सम्भव होगा अपने ऋण खाता में वांछित राशि को जमा कर खाता को ठीक करना चाहते हैं इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि उक्त वाद से संबंधित वाद माननीय न्यायालय DRT, राँची में भी चल रहा है, जो अभी लंबित है। अतः प्रश्नगत वाद में अंतिम आदेश पारित होने तक विपक्षी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश नहीं पारित करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। जहाँ तक इस वाद से संबंधित वाद माननीय न्यायालय डी०आर०टी०, राँची में लंबित रहने की बात है, इस SARFAESI ACT-2002 की धारा-14(1 एवं 2) से कोई संबंध नहीं रखता है। विपक्षी के दलील एवं लिखित जबाब उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाती है।

वर्णित पारिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा-14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संघारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेख्यपित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।